

शहर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार की 19.08.2013 दिनांक अधिसूचना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन के अनुसार उल्लिखित नीति के नियमों और शर्तों पर विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट (प्रोजेक्ट पूरा होने के अंतिम चरण में है) के तहत आवासीय अपार्टमेंट की बुकिंग के लिए सर्वसाधारण से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)

प्रोजेक्ट के विवरण

1. कॉलोनाइज़र/ डेवलपर		सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड				
2. प्रोजेक्ट को प्राप्त स्वीकृति		लाइसेंस नं. 04 / 2017 दिनांक 02 फरवरी 2017, भवन योजना की स्वीकृति 08-06-2017. मेमो नं. ZP-1140/S-D(BS)/2017/12572, रेरा रजिस्ट्रेशन सं. 03 / 2017 दिनांक 20-06-2017				
3. स्थान		सेक्टर 37D, गुरुग्राम, हरियाणा।				
4. प्रोजेक्ट के क्षेत्रफल संबंधी प्रावधान		हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत 9.701 एकड़ में कुल 1448 अपार्टमेंट में से 93 अपार्टमेंट आवेदकों के लिए उपलब्ध हैं। इनमें से पॉलिसी अनुसार कुल अपार्टमेंट का 5% मैनेजमेंट कोटे में आरक्षित हैं और कुल अपार्टमेंट का 95% सर्वसाधारण के लिए हैं। समुदाय सुविधाएँ: 2000 वर्गफुट का एक समुदाय भवन और 2000 वर्गफुट का एक ऑगनवाड़ी-सह-क्रेक।				
5. अपार्टमेंट के विवरण, आवंटन दर और भुगतान के नियम						
अपार्टमेंट के विवरण						
कैटेगरी (टाइप)	यूनिट की संख्या	कारपेट एरिया वर्गफुट (लगभग)	बाल्कनी एरिया वर्गफुट (लगभग)	अपार्टमेंट के एलॉटमेंट की दर (सब मिलाकर)	आवेदन के साथ बुकिंग की राशि 5%	एलॉटमेंट पर 20%
2BHK - T1	14	552.360	79.653	22,49,267	1,12,463	4,49,853
2BHK - T2	26	585.944	79.545	23,83,549	1,19,177	4,76,710
2BHK - T3	33	519.229	79.653	21,16,743	1,05,837	4,23,349
2BHK - T4	17	596.126	79.653	24,24,331	1,21,217	4,84,866
2BHK - T4 (MQ)	3	596.126	79.653	24,24,331	1,21,217	4,84,866
ii) बाकी 75% राशि का तीन वर्षों के दौरान 6 महीने तक बराबर किस्तों में भुगतान। भुगतान की नियत तिथि से पहले कोई ब्याज नहीं लगेगा। भुगतान में किसी चूक के लिए हर्जाना ब्याज देना होगा जैसा कि हरियाणा रीयल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, विनियम, 2017 के नियम 15 में प्रावधान है।						
6. पार्किंग		प्रत्येक अपार्टमेंट के लिए दुपहिया वाहन पार्किंग।				
7. अपार्टमेंट के बारे में सामान्य विवरण		• फ्लोरिंग : कमरों में विट्रिफाइड टाइल्स, किचन में विट्रिफाइड/सिरामिक टाइल्स, टॉयलेट में एंटी स्किड सिरामिक टाइल्स, बाल्कनी में एंटी स्किड/मैट फिनिश सिरामिक टाइल्स, • खिड़कियाँ : IS कोड के अनुसार M.S. सेक्शन/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • दरवाजों के फ्रेम : रेड मरंडी/माइल्ड स्टील/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • वॉल टाइल : 4 फुट/7 फुट की ऊँचाई तक सिरामिक टाइल्स एवं ऊपर ऑयल बाउंड डिस्टेंपर • किचन काउंटर टॉप ग्रीन मार्बल/ग्रेनाइट • दीवार : ऑयल बांड डिस्टेंपर • सेनिटरी फिटिंग : ISI मार्क CP फिटिंग्स, W.C. और वॉश बेसिन • इलेक्ट्रिकल फिटिंग : ISI मार्क।				
8. आवेदन की समय सीमाएँ		i) आवेदन पत्र दिनांक 19.02.2019 से आवेदन शुल्क 1000 रुपये भुगतान कर सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पता : ग्राउंड फ्लोर, सिग्नेचर टावर, साउथ सिटी-1, गुरुग्राम-122001, 0124-4908200 से प्राप्त और इसी पते पर जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें : 7053-121-121 ii) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि : 28.02.2019. iii) वितरण और संग्रह केंद्रों की सूची www.signatureglobal.in पर उपलब्ध है। iv) आवेदन पत्र प्राप्त करने और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा www.signatureglobal.in पर भी उपलब्ध है।				

योग्यता :

- आवेदक पर किसी मौजूदा कानून के तहत कानूनी तौर पर बाध्यकारी करार करने पर रोक नहीं हो।
- आवेदन कोई भी कर सकता है हालाँकि एलॉटमेंट में प्राथमिकता PMAY (पीएमएवाई) लाभार्थियों को दी जाएगी जिनमें आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान शामिल हैं जिनकी पहचान प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास प्रोग्राम के तहत शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के तहत की गई हो। पहली प्राथमिकता कथित शहर के पहचान किए गए लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद हरियाणा राज्य के अन्य पीएमएवाई लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद बचे फ्लैट के एलॉटमेंट में ऐसे आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका हुडा की किसी कॉलोनी/सेक्टर या हरियाणा शहरी क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की किसी लाइसेंसड कॉलोनी में अपना फ्लैट/प्लॉट नहीं हो।
- एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है। इस नीति के तहत सफल कोई भी आवेदक इस नीति के तहत अन्य किसी कॉलोनी में अन्य फ्लैट के लिए आवेदन योग्य नहीं माना जाएगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक कॉलोनी में आवंटन के लिए सफल होता है तो पसंद का केवल एक फ्लैट चुनना होगा।

आवंटन के मानक :

- अपार्टमेंट का आवंटन एक समिति के सामने लॉटरी से होगा। समिति में उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि (न्यूनतम हरियाणा लोक सेवा स्तर के अधिकारी), वरिष्ठ नगर नियोजक (सर्कल कार्यालय), संबद्ध ज़िले के डीटीपी और संबद्ध कोलोनाइजर के प्रतिनिधि होंगे।
- लॉटरी की तिथि निर्धारित करने के बाद डेवलपर उसी समाचार पत्र में विज्ञापन देंगे जिसमें यह मूल विज्ञापन प्रकाशित होगा। विज्ञापन में आवेदकों को लॉटरी की तिथि और स्थान के विवरण दिए जाएंगे।
- मानकों की पूरी जानकारी और आरंभिक जॉच और आवंटन के लिए निर्धारित समय सीमा के लिए आवेदक अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग पॉलिसी 2013 के विवरण देखें जो 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन में उपलब्ध है। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)।



HRERA REG. NO.: 3 OF 2017 DATED 20-06-2017



12 लाख रुपये के आवास ऋण पर PMAY (प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत लगभग 2.67 लाख रुपये ब्याज सबसिडी का लाभ उठाएँ*